Journal of Punjab College of Law
Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN (O) : 3048-8060
Vol. 1, Issue 1, Year 2024
Online Available : https://punjabgroupofcolleges.org/jpcl/

नारी समानता व अधिकारों के पैरोकार - डॉ. भीमराव अंबेडकर

डॉ. रविंद्र कुमार
सहायक प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा, राजकीय महाविद्यालय, भट्टू कलां (फतेहाबाद)

स्त्री सशक्तिकरण के प्राचीन दस्तावेजों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि इसकी शुरुआत महात्मा गौतम बुद्ध की विरासत से हुई और सम्राट अशोक के काल में विकसित रूप धारण किया। आगे चलकर भारत के अलग-अलग कालों के अलग-अलग महापुरुषों ने इस महत्वपूर्ण आंदोलन को जारी रखा, उसमें से इस आंदोलन के डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर आधुनिक भारतीय कालखंड के सबसे महत्वपूर्ण अग्रदूत थे। पर इस आंदोलन के आद्य प्रवर्तक के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले नीव रखी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर और उन्हीं को वैचारिक गुरु बनाकर डॉ.अंबेडकर ने इस आंदोलन को लोकतांत्रिक देश में सफल बनाने की कोशिश की। स्वतंत्र भारत का समकालीन स्त्री आंदोलन महिलाओं की उपेक्षा, शोषण, और श्रम में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने तथा बराबरी के सिद्धांत का दृढ़तापूर्ण पालन करने की नीति के साथ शुरू हुआ।

भारतीय संदर्भ में जब भी समाज में व्याप्त जाति, वर्ग एवं लिंग (जेंडर) के स्तर पर व्याप्त असमानताओं और उनमें सुधार संबंधी मुद्दों पर चिंतन हो रहा हो तो डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों एवं दृष्टिकोणों को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। अंबेडकर ने समाज के अस्पृश्य, उपेक्षित तथा सदियों से सामाजिक शोषण से संत्रस्त दलित वर्ग को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य ही नहीं किया बल्कि उनका पूरा जीवन समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वास पर आधारित संकीर्णताओं और विकृतियों को दूर करने पर भी केंद्रित रहा।

डॉ. अंबेडकर भारत में एक ऐसे वर्गविहीन समाज की संरचना चाहते थे जिसमें जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद तथा ऊंच-नीच तथा लिंग का भेद न हो और प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वाभिमान और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। उनके चिंतन का केंद्र महिलाएं भी थीं क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। वे तो दलितों से भी बदहाल स्थितिमे थीं,पुरुष वर्चस्व की निरंतरता को कायम रखने के लिए महिलाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक आडंबरों के आधार पर शोषण किया जा रहा था।

हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अनेक समाज सुधार आंदोलन हुए जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं से जुड़ी तमाम सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था जैसे- बाल विवाह को रोकना, विधवा पुनर्विवाह, देवदासी प्रथा

आदि मुद्दे प्रमुखता से शामिल थे।अन्य समाज सुधारक जहां महिला शिक्षा को परिवार की उन्नति व आदर्श मातृत्व को संभालने अथवा उसके स्त्रियोचित गुणों के कारण ही उसकी महत्ता पर बल देते थे परंतु स्त्री भी मनुष्य है उसके भी अन्य मनुष्यों के समान अधिकार हैं। इसे स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। लेकिन अंबेडकर स्त्री-पुरुष समानता के समर्थक थे, वे महिलाओं को किसी भी रूप में पुरुषों से कमतर नहीं मानते थे।

बंबई की महिला सभा को संबोधित करते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था 'नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है, नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है।' [1]

डॉ. अंबेडकर महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। जिससे महिलाओं को भी सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्तर पर समानता का अधिकार मिल सके। इस शोध पत्र में डॉ. अंबेडकर के उन विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे महिलाओं कि स्थिति में सुधार के लिए कितने प्रयासरत एवं चिंतनशील थे।नारी समानता व नारी -उत्थान संबंधी उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं,जितने आधी शताब्दी पहले थे।

भारतीय नारीवादी चिंतन और अंबेडकर के महिला चिंतन की वैचारिकी का केंद्र ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में व्याप्त परंपरागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं ही थीं। जो महिलाओं को पुरुषों के आधीन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रही हैं।

वर्ष 1916 में अंबेडकर ने मानवविज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डेंविसर द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय, यूएसए में आयोजित सेमिनार में 'कास्ट इन इंडिया : देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट' शीर्षक से पत्र पढ़ा जो जाति और जेंडर के बीच अंतरसंबंधों की समझ पर आधारित था।भारतीय संदर्भ में देखा जाय तो अंबेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। यह वह समय था जब, यूरोप के कई देशों में प्रथम लहर का महिला आंदोलन अपनी गति पकड़ चुका था जो मुख्य रूप से महिला मताधिकार के मुद्दे पर केंद्रित था।‘’[2]

20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाएं भी खुलकर भाग लेने लगीं थीं। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी इसी दौरान उठाए जाने लगे थे और साथ ही महिलाओं ने अपने स्वायत्त संगठन भी बनाने शुरू कर दिए थे।

भारत का संविधान लिखे जाते वक़्त 25 नवंबर, 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद, देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्विवादित नेता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक ख़ास

Journal of Punjab College of Law
Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN (O) : 3048-8060
Vol. 1, Issue 1, Year 2024
Online Available : https://punjabgroupofcolleges.org/jpcl/

बात कही. डॉ आंबेडकर ने कहा, "26 जनवरी, 1950 को, हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी."[3]

भारत ने 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ ख़ुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का एलान कर दिया. अपने भाषण में डॉ आंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर्विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे.उन्होंने कहीं और कहा कि लोकतंत्र 'भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक' है. उनके अनुसार, यहां की संस्कृति 'अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक' है और यहां के गांव 'स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर' हैं.भारत जैसे ग़रीब और ग़ैर-बराबरी वाले देश में संविधान के ज़रिए छुआछूत ख़त्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना, बहुत बड़ी उपलब्धि थी.''[4]

भारतीय महिलाओं के उत्थान में डॉ बी.आर. अम्बेडकर का योगदान

भारतीय समाज में खास तौर पर महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, अंतिम दो सौ वर्षो के समय काल में भारत वर्ष के लिए परिवर्तन युग था, 19 वी सदी में भारतीय नारी सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्याएं, एक से अधिक पत्नी, विधुर फ़ेर विवाह प्रतिबंध, दहेज प्रथा, जाति बंधन, ऊँच नीच, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, निरक्षरता, कन्या शिक्षा का अधिकार नहीं, कुरीतियां और अत्याचार से स्थिति दयनीय थी,ऐसी परिस्थितियों से महिलाओं को निकालने के लिए ब्रह्म समाज के अग्रणी राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के अग्रणी महादेव गोविंद राना डे,, आर्य समाज के स्वामी दयानन्द सरस्वती जेसे अनेक समाज सुधारवादी और संस्थाएं, आगे आई थी, ये सभी महिलाओं के लिए सुधारवादी बनकर मर्यादित काम कर रहे थे, लेकिन इन सभी का कार्य ज्यादातर समाज के उपरी वर्गों के लिए केंद्रित था, ज्योतिबा फूले और उनके धर्म पत्नी सावित्रीबाई ने महाराष्ट्र में शूद्र वर्ग में काम शुरू किया था, 20 वी सदी में भीमराव रामजी अम्बेडकर के उदय होने से ये सुधारवादी निचले स्तर पर अस्पृश्य महिलाओं तक पहुंचा , दलित महिलाऐं तो दलितों में भी दलित थी, इस तरह उनकी वेदना, व्यथा और दुर्दशा तो और ज्यादा थी,भारतीय महिला समाज का स्वतंत्रता और समानता का संग्राम डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, निचले वर्ग की महिलाओं से, ‘महाड सत्याग्रह’ से शुरू हुआ था, चवदार तालाब मे से पानी प्राप्ति का महाड सत्याग्रह(1829) डॉ.बी.आर. अम्बेडकर के लिए धर्म युद्ध के समान था, इस आन्दोलन में डॉ अम्बेडकर के आह्वान से महिलाए भारी संख्या में जुड़ी थी और अंततः आन्दोलन को विजय दिलवाई ,सत्याग्रही महिलाओं को संबोधित करते हुए डॉ अम्बेडकर ने कहा था कि, ‘तुम्हारी जाति को तुम अस्पृश्य मानना नहीं… गैर दलित महिलाएं जिस तरह साड़ी पहनती है, उस तरह तुम भी पहनो, कपड़े चाहे फटे हुए हो,लेकिन उन्हें स्वच्छ रखिये, अपना घर भी स्वच्छ रखो, तुम्हारी गोद से जन्म लेना पाप, और अन्य कि

कोख से जन्म लेना पुण्य, ऐसा क्यू? विचार तुम्हें करना है, तुम संकल्प करो की ऐसी कलंकित स्थिति में अब तुम जियोगी नहीं, तुम्हें पुराने गंदे विचारों का त्याग करना होगा, तुम्हारी पहचान की निशानी चांदी के गहने है न? छोड़ दें उसे, घर में अमंगल बात होने नहीं देना, मरे हुए पशु का मांस खाना नहीं, शराबी पति, भाई, पिता या फिर पुत्र को खाना देना बंद कर दो, लड़कियों को शिक्षा दिलाए, ज्ञान और विद्या ही महिलाओ का कल्याण करने वाली है, हमारी मूवमेंट का लक्ष्य अत्याचार, अन्याय, पुरानी रीत-रस्म, परम्पराएं, किसी के विशिष्ट अधिकार विरुद्ध लड़कर, हमारे लोगों को गुलामी से मुक्त करना है, याद रखिए... जो संघर्ष करता हे, उसे ही सफलता प्राप्त होती है.''[5]

दूसरे दिन महाड परिषद् में महिलाओं ने अपने अपने गांव जाने से पहले, अपने इन महान नेता के आदेश से, अपनी सम्पूर्ण वेश-भूसा बदल ली थीं , चांदी के गहने उतार दिए , युग पुरुष डॉ अम्बेडकर की युग वाणी का प्रभाव था, नारी मुक्ति की ये चिनगारी डॉ अम्बेडकर ने प्रकट की थी.

देश में एक व्यापक मान्यता प्रचलित है कि, डॉ बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं अस्पृश्य वर्ग के हैं , इस लिए उनकी लगन और निष्ठा दलितों के प्रति ही थी , लेकिन हकीकतसिर्फ यही नहीं है , डॉ अम्बेडकर एक निष्ठावान, सम्वेदनशील व्यक्ति थे, उन्होंने जो पीड़ा या दर्द सहा और भोग तथा अनुभव किया था, तब उससे उनका ह्रदय व्याकुल हो गया था, परिणाम स्वरुप अपने जीवन को सबकी पीड़ाएं और यातनाएं दूर करने का मिशन बन चुके थे, डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर की नारी उत्थान की भूमिका को इस सन्दर्भ में देखना होगा,हिन्दू समाज में अस्पृश्य लोगों पर अत्याचार इस लिए होते थे कि उन्हें व्यवस्था ने सबसे निम्न जाति स्तर पर धकेल दिए थे, परंतु भारतीय महिला की हालत ख़राब होने के साथ –साथ ,दलित महिलाऐं तो दलितों में भी दलित थीं, डॉ अम्बेडकर का मिशन दलित महिला तक सीमित नहीं था, समग्रतः भारतीय महिला जगत को स्वतंत्रता और समानता दिलाने के लिए वो निश्चित थे, हाँ, उनकी काम करने की शुरुआत दलित महिलाओं से हुई थी,

अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद् का सम्मेलन सन 1942 मे नागपुर में आयोजित किया गया था, जिस में 70000 से ज्यादा लोग उपस्थिति थे, वहीं मंच के नीचे बाद में मिली हुई 'महिला परिषद्' मे डॉ अम्बेडकर ने संबोधित करते हुए कहा था कि, 'महिलाओं का अपना खुद का एक संगठन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, समाज में स्थिर बन गई परम्पराओं ने और रीति रिवाजों को खत्म कर के तुमने महान कार्य किया है, आप की प्रगति से मुझे संतोष हे, अब तुम्हारी संतानो को शिक्षा दिलाए, उनकी महत्वकांक्षाओं को जाग्रत कीजिए , उन्हें कहो कि जगत में महान होने के लिए ही आप का सर्जन हुआ है, उनके मन में जम गई लघुता ग्रंथी को भगा दो,कन्याओं को खास तौर पर कहना है कि, शादी करने मे जल्द बाजी न करे, शादी करने वाले को समझना होगा कि ज्यादा बच्चे को जन्म देना वो पाप हहै , और सब से अधिक जरूरी बात यह है कि, विवाहित कन्या को विवाह के बाद अपने

Journal of Punjab College of Law
Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN (O) : 3048-8060
Vol. 1, Issue 1, Year 2024
Online Available : https://punjabgroupofcolleges.org/jpcl/

पति के साथ निष्ठा से रहना चाहिए, पति के साथ मित्र भाव, समदर्शिता हो , न की उसकी दासी के रूप में, डॉ अम्बेडकर ने सभी महिलाओंमे आत्म विश्वास और आत्म सम्मान जगाया था,

भारतीय संविधान में डॉ अम्बेडकर ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता दिलाने के पक्ष में थे, उन्होंने इसलिए ही भारतीय संविधान में भारत के कानून मंत्री और भारतीय संविधान के रचयिता के रूप में नारी समाज को न्याय दिलाने में बहुत प्रयास किए, इस लिए स्वतंत्र भारत में संविधान से नारी देश की नागरिक है, गुलाम नहीं है, धर्म, जाति, लिंग, प्रदेश में महिलाओं को समानताके अधिकार प्राप्त हैं , वे अब पूर्णतया स्वतंत्र हे, वाणी की अभिव्यक्ति के लिए, सभा, संगठन रचने के लिए देश में चाहे जहाँ भ्रमण करने के लिए, शासकीय कार्यालयों में नोकरियों और सरकारी पदों मे उनका समान अधिकार है, शिक्षा प्राप्ति के लिए और पढ़ाई कराने के लिए उनको अबाधित अधिकार है, वे स्वतंत्र मताधिकार धारण करती है, लोक प्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीत सकती हैं, ऐसे अनेक संवैधानिक अधिकार, जो महिलाओं को स्वतंत्रता के बाद बाबा साहेब के संविधान से प्राप्त हुए हैं, उन्होंने महिला कामदारों के लिए भी आन्दोलन चलाया, प्रसूति के समय महिला कामदार को छुट्टियां मिलें और सवेतन मिले ऐसा उद्योगपति और सरकारों को जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर भी उन्हें पर्याप्त नहीं लगने से भारतीय महिलाओ के विशेष अधिकारों के लिए लोक सभा में उन्होंने हिन्दू संहिता विधेयक (हिन्दू कोड बिल) पेश किया था, डॉ अम्बेडकर ने यह विधेयक पेश किया गया था तब पुरुष प्रधान देश में हलचल मच गई थी, विधेयक में विवाह की विविधता पर अंकुश लगाने के लिए, महिलाओं को पति से मुक्त होने का अधिकार, उत्तराधिकार में पूंजी पाने का अधिकार, बच्चे को गोद लेने के लिए पत्नी की मंजूरी, जरूरी, जेसे अनेक नए बदलाव अम्बेडकर लाए थे,

भारतीय महिलाओं की स्थिति मे सुधार लाने में डॉ अम्बेडकर का आदर्श गौतम बुद्ध थे, भारतीय महिलाओं को पुरुष के समकक्ष, श्रेष्टता, स्वतन्त्रता, समानता और प्रतिष्ठा दिलाने का उदेश्य था, डॉ बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओंके उत्थान के लिए संविधान में उसके अनुरूप कानून व्यवस्था बनाकर अधिकार दिए गए.

डॉ अम्बेडकर ने अपने संबोधन में कहा था,'' मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है।''[6]

महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर कितने गंभीर थे…ये बताने के लिए उनका ये एक कथन ही काफी है। भारत में जब फेमिनिज़्म यानी नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए, जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं।

Journal of Punjab College of Law
Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN (O) : 3048-8060
Vol. 1, Issue 1, Year 2024
Online Available : https://punjabgroupofcolleges.org/jpcl/

20वीं शताब्दी में बाबा साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी लेकिन विडंबना देखिए… इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता और संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया, जबकि महिलाओं की भलाई के लिए उनके जितने काम शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए हों।

उनकी 'मॉडर्न थींकिंग' और दूरदर्शिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज महिलाओं को चारदीवारी में कैद रखे हुए था तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश (मैटरनिटी लीव) दिलाई।

महिलाओं की भलाई के लिए बाबा साहब द्वारा किए गए कार्य-

1.नारी शिक्षा (महिलाओं को पढ़ने का अधिकार)

बाबा साहब ने शिक्षा के दम पर अपने असंख्य बच्चों का भविष्य संवारा था इसलिए बाबा साहब शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ-साथ वो महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत ज़रूरी मानते थे। जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रवेश कुमार के मुताबिक 1913 में न्यूयार्क में एक भाषण देते उन्होंने कहा था 'मां–बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। मां बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती हैं। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज़ होगी।' बाबा साहब का ये कथन पूरी तरह सच साबित हुआ। आज भारत की लड़कियां शिक्षित होकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। बाबा साहब ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अपने पिता के एक करीबी दोस्त को पत्र में लिखा था, उन्होंने लिखा 'बहुत जल्द भारत प्रगति की दिशा स्वंय तय करेगा, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने से पहले हमें भारतीय स्त्रियों की शिक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे।

18 जुलाई 1927 को करीब तीन हजार महिलाओं की एक संगोष्ठि में बाबा साहब ने कहा ने कहा था 'आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना की पुरूषों के लिए। यदि आपको लिखना–पढ़ना आता है, तो समाज में आपका उद्धार संभव है। एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाएं तो उन्हें ये कभी महसूस नहीं होगा।'

2.मैटरनिटी लीव (गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी)

आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉ आंबेडकर ने ही की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिसलेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाया। इस दौरान उन्होंनें प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। क्या आप जानते हैं कि 1942 में सबसे पहले मैटरनिटी बेनेफिट बिल डॉ. अंबेडकर द्वारा लाया गया था? इसके बाद 1948 के Employees' State Insurance Act के जरिए भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। बाबा साहब ने ये काम उस वक्त कर दिया था जब उस जमाने के सबसे ताकतवर मुल्क भी इस मामले में बहुत पीछे थे।

3.लैंगिक समानता (महिला-पुरुष में कोई भेदभाव नहीं)

बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है।

बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि 'किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा और ना ही उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है।' भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे थे। इसके अलावा महिलाओं की खरीद-फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। साथ ही बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों को विशेष कदम उठाने की इजाजत भी दी।

4. मताधिकार (वोट करने का अधिकार)

वोटिंग राइट्स को लेकर 20वीं शताब्दी के आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए। नारीवाद की पहली और दूसरी लहर में महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स की जबरदस्त मांग उठी लेकिन उस समय भारत में इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिलाएं वोट डालने का हक रखती हैं क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया था।

अरस्तू से लेकर मनु तक ने महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना। लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उन्हें बराबरी के नागरिक अधिकार दिए। स्विटजरलैंड जैसे देश में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला

Journal of Punjab College of Law
Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN (O) : 3048-8060
Vol. 1, Issue 1, Year 2024
Online Available : https://punjabgroupofcolleges.org/jpcl/

लेकिन बाबा ने संविधान बनाते वक्त ही महिलाओं को मताधिकार सुनिश्चित कर दिया।

5.तलाक, संपत्ति और बच्चे गोद लेने का अधिकार

बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री–पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई पाटने का सार्थक प्रयास किया। जाति– लिंग और धर्मनिरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की है।

डॉ. आंबेडकर का मानना था– 'सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा, जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें परिवार–समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी।' महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हिस्सेदारी देना, तलाक का अधिकार और बच्चे गोद लेने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही उन्हें दिलाया। हिंदू ग्रन्थों के अनुसार ऐसी मान्यता थी कि अगर महिला अपने घर से डोली पर निकलती है तो वापस उसकी अर्थी उठती है और विवाहित स्त्रियों का अपने पिता के घर वापस आना पाप माना जाता था लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्रांति की शुरुआत कर दी थी।

6. महिला विरोधी कुरूतियों को समाप्त करना

बाबा साहब ने असहाय महिलाओं को उठकर लड़ने की प्रेरणा देने के लिए बाल विवाह और देव दासी प्रथा जैसी घटिया प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्ष बाबा साहब की पत्नी रमाबाई थीं। 20 जनवरी 1942 को डॉ. भीम राव अंबेडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें करीब 25 हजार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। उस समय इतनी भारी संख्या में महिलाओं का एकजुट होना काफी बड़ी बात थी।

बाबा साहब ने दलित महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा था 'महिलाओं में जागृति का अटूट विश्वास है। सामाजिक कुरीतियां नष्ट करने में महिलाओं का बड़ा योगदान हो सकता है। मैं अपने अनुभव से यह बता रहा हूं कि जब मैने दलित समाज का काम अपने हाथों में लिया था तभी मैने यह निश्चय किया था कि पुरूषों के साथ महिलाओं को भी आगे ले जाना चाहिए। महिला समाज ने जितनी मात्रा में प्रगति की है इसे मैं दलित समाज की प्रगति में गिनती करता हूँ'।''[7]

25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें शूद्रों के बारे में बहुत

बुरी बातें लिखी थीं, बल्कि उन्होंने उस घृणित किताब को इसलिए भी आग के हवाले किया था क्योंकि उसमें महिलाओं को भी गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे।

भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो आंबेडकर संभवत: पहली शख्सियत रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को लिंग (जेंडर) की दृष्टि से समझने की कोशिश की। उनकी पूरी वैचारिकी के मंथन और दृष्टिकोण में सबसे अहम मंथन का हिस्सा महिला सशक्तिकरण था।

डॉ आंबेडकर ने कहा था, 'मैं नहीं जानता कि इस दुनिया का क्या होगा, जब बेटियों का जन्म ही नहीं होगा।' स्त्री सरोकारों के प्रति डॉ भीमराव आंबेडकर का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण लिए उनका योगदान पीढ़ी–दर–पीढ़ी याद किया जायेगा डॉ. अंबेडकर के सम्पूर्ण विचार में सबसे महत्वपूर्ण मंथन का हिस्सा महिला सशक्तीकरण था। उन्होंने भारतवर्ष की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एंव राजनैतिक व्यवस्था के अंदर का सूक्ष्म अध्ययन करके जाना कि सभी समस्या के समाधान की मूल शर्त सामाजिक न्याय और परिवर्तन की क्रांति से है, न कि अन्य किसी भी बदलाव या क्रांति से है। डॉ. अंबेडकर के सामाजिक दृष्टिकोण में भारतीय महिला आंदोलन से जुड़ी हर तबके की महिलाओं की विविध आंदोलोनों में हिस्सेदारी से स्त्री का सामाजिक महत्व और उसके मूल आवश्यकता का अहसास जिंदा हुआ।

सन्दर्भ-सूची

1. https://hindi.webdunia.com/ambedkar-jayanti/ambedkar-jayanti-2020-120041300105_1.html
2. वही
3. बीबीसी हिंदी डॉट कॉम, सौतिक बिस्वास, बीबीसी संवाददाता का 13 अप्रैल 2023
अपडेटेड 14 अप्रैल 2023 की स्टोरी से
4. वही
5. डॉ. मंजू सुमन (संकलन), ज्ञानेंद्र रावत (सम्पादन), दलित नारी एक विमर्श, पृष्ठ 222
6. https://www.ambedkaritetoday.com/2019/09/Women-and-counter-revolution-Bhim-Rao-Ambedkar.html
7. https://theshudra.com/dr-ambedkar/know-about-the-champion-of-women-rights-in-india-dr-ambedkar-on-internation-womens-day/#google_vignette